मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/एफ 3–4/2012/26–2 भोपाल दिनांक 1/1/2014

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

विषयः– मुख्यमंत्री कन्यादान योजना/निकाह योजना के अंतर्गत सहायता राशि में वृद्धि के संबंध में।

संदर्भः– म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 3–4/12/26–2/2012 दिनांक 13.04.2012

–0–

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना/निकाह योजना के अंतर्गत निर्धन, जरूरतमंद, निराश्रित, विधवा, परित्यक्तता (विधवा एवं परित्यक्तता को एक बार पुनः विवाह हेतु) के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विवाह करने वाली कन्याओं की गृहस्थी की स्थापना हेतु आर्थिक सहायता राशि रू0 13,000/– एवं सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन करने वाले निकायों को रू0 2,000/– कुल रू0 15,000/– के मान से उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर निम्नानुसार किया जाता है :–

विवरण	राशि (प्रति कन्या के मान से)
1. कन्या की गृहस्थी की स्थापना हेतु सामग्री के लिये	– रू0 16,000/– (रू0 सोलह हजार मात्र)
2. कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिये 5 वर्ष तक के लिये सावधि जमा।	– रू0 6,000/– (रू0 छः हजार मात्र)
3. सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाले निकाय यथा– नगरीय निकाय, ग्रामीण निकाय को व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु	– रू0 3,000/– (रू0 तीन हजार मात्र)
कुल योग	– रू0 25,000/– (रू0 पच्चीस हजार मात्र)

यह आदेश दिनांक 01 जनवरी 2014 से प्रभावशील होगा।

1/1/14

(व्ही.के.बाथम)
सचिव,
म0प्र0शासन,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण विभाग

St./Die/Gov.Let/doc

पृष्ठां0क्रमांक एफ 3-सस/2012/2013/26-2 भोपाल दिनांक 1/1/2014

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय म0प्र0 शासन, भोपाल ।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त, जनसंपर्क म0प्र0 भोपाल ।
5. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, भोपाल निर्देशानुसार सावधि जमा के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश जारी करें।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
7. समस्त आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश। जिन कन्याओं का विवाह सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम में सम्पन्न होना है उनका समग्र पोर्टल पर नाम अंकित होना अनिवार्य है। समग्र पोर्टल पर सत्यापन उपरांत सक्षम समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जाकर ही पात्र कन्याओं के लिये सामग्री क्रय की जाये एवं सावधि जमा पत्र तैयार कराये जाये। सावधि जमा बचत पत्र भी विवाह कार्यक्रम में ही कन्या को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। सावधि जमा पांच वर्ष के लिये होगी इसके परिपक्व होने पर निर्गम की पात्रता होगी। यदि आवेदिका चाहे तो सावधि जमा की अवधि बढ़ा सकती है। इसके विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।
8. समस्त संयुक्त सचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मध्यप्रदेश

1/1/14

(व्ही.के.बाथम)
सचिव,
म0प्र0शासन,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण विभाग